न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –77/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2023/85

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. अनिल कुमार पुत्र रामकुमार जाति विश्नोई निवासी थला की ढाणी रेण हाल निवासी पाली राजस्थान 2. बिदामी पत्नी रामकुमार जाति विश्नोई निवासी थला की ढाणी रेण हाल निवासी मानासर नागौर राजस्थान		तहसीलदार नागौर

उपस्थितिः–
1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत ।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

:: निर्णय ::

दिनांक :–09.01.2024

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2023 सरकार बनाम अनिल कुमार में पारित निर्णय दिनांक 13.03.23 से असंतुष्ट होकर दिनांक 29.03.2023 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

मूल प्रकरण में अपीलांट बिदामी पक्षकार नहीं होने से यह अपील पेश करते समय उनके द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी मय शपथ–पत्र अपील के साथ पेश किया हैं।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार नागौर ने पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट पर अपीलान्ट अनिल के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ कर अपीलान्ट अनिल कुमार को मौजा मानासर के खसरा संख्या 142/49 रकबा 0.1619 हैक्टर भूमि किस्म बारानी चारम पर चारदीवारी व कब्जा कर अतिक्रमी बताकर अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने, भूमि की लगान दर का पचास गुणा 15 रूपये शास्ति अधिरोपित करने का आदेश पारित किया। आदेश की पालना में निर्णय के तत्काल बाद पटवारी द्वारा मौके पर अपीलान्ट बिदामी की अपने स्वामित्व कब्जे की भूमि पर बनाई दीवार को तोड़कर दीवार को नष्ट कर दिया गया तथा दीवार के पत्थर पटवारी द्वारा ले जाये गये। अपीलान्ट अनिल के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही गलत रूप से बिना अधिकार के की गई क्योंकि अनिल की न तो चारदीवारी थी न अनिल का कब्जा था। चारदीवारी व कब्जा अपीलान्ट अनिल की माता बिदामी का रहा है। अपीलान्ट बिदामी की भूमि पर बनी दीवार को तोड़ने व धारा 91 की कार्यवाही करने का हक तहसीलदार व पटवारी नागौर को नहीं होते हुए भी तहसीलदार नागौर ने अपीलाधीन निर्णय बिना अधिकार के पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय से अपीलान्ट बिदामी के हक प्रभावित हुए है क्योंकि जिस दीवार को तोड़ा गया और बेदखली के आदेश पारित किये गये वह दीवार और कब्जा अपीलान्ट बिदामी का अपने स्वयं के मालिकाना हक की भूमि पर रहा है इस प्रकार बिदामी का हित सीधा जुड़ा होने से अपीलान्ट बिदामी को अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार होने से बिदामी ने भी अपीलान्ट अनिल के साथ यह अपील प्रस्तुत की हैं तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने हेतु

कलक्टर नागौर

अलग से आवेदन प्रस्तुत किया हैं। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन निर्णय व कार्यवाही की शुरू में जानकारी नहीं हो सकी थी क्योंकि दोनो अपीलान्ट्स को न तो नोटिस दिये गये न नोटिसो की तामील हुई न नोटिस अपीलान्ट्स को प्राप्त हुए। दिनांक 17.3.2023 को अपीलान्ट बिदामी की दीवार को तोड़ा गया तथा तोड़ने का कारण तहसीलदार का निर्णय होना बताया गया तब अपीलाधीन निर्णय के बारे में पूरी जानकारी कर नकल हेतु आवेदन कर निर्णय की नकल प्राप्त कर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि अपीलाधीन निर्णय व भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही अवैध, अनाधिकृत, विधि विरूद्ध, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित तथा बिना क्षेत्राधिकार की होने से अपास्त किये जाने योग्य है। मौजा मानासर के खसरा संख्या 378/369 रकबा 0.1783 हैक्टर भूमि गणपतराम पुत्र जगनाथ के खातेदारी की भूमि रही है। इस खसरा संख्या 378/369 की भूमि में से दो भूखण्डो का गणपतराम ने आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नगरपरिषद,नागौर से कराया। इन दोनो भूखण्डो का कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कर नगरपरिषद नागौर ने गणपतराम के नाम इन दोनो आवासीय भूखण्डो के दो पट्टे क्रमशः पट्टा संख्या 1193 व पट्टा संख्या 1195 दिनांक 14.11.2022 को निष्पादित कर दोनो पट्टो का पंजीयन गणपतराम के नाम उपपंजीयन कार्यालय नागौर में दिनांक 22.11.22 को पंजीबद्ध करा दिये। दोनो आवासीय भूखण्डो के पट्टे नगरपरिषद ने राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत गणपतराम के नाम जारी किये गये। पट्टा संख्या 1193 के आवासीय का क्षेत्रफल 286.11 वर्गगज तथा पट्टा संख्या 1195 के आवासीय भूखण्ड का क्षेत्रफल 799.28 वर्गगज है। उक्त दोनो आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूखण्डो की खरीद जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामे के दिनांक 6.1.2023 को अपीलान्ट बिदामी देवी ने की हैं तथा खरीद के बाद से इन दोनो भूखण्डो की मालिक, स्वामी, काबिज अपीलान्ट बिदामी है। अपीलान्ट अनिल का इन दोनो भूखण्डो से कोई सरोकार नहीं हैं।

अपीलांट ने खरीद के बाद इन दोनो भूखण्डो पर चारदीवारी का निर्माण पट्टे के नाप अनुसार करवा लिया। बिदामी ने दीवार का निर्माण अपने मालिकाना हक स्वामित्व की भूमि पर ही कराया था। अपने स्वामित्व की खरीदशुदा पट्टाशुद भूमि से बाहर अपीलांट बिदामी ने चारदीवारी का निर्माण नहीं कराया था मगर पटवारी हल्का ने खसरा संख्या 142/49 की भूमि पर दीवार बनी होने की झूठी रिपोर्ट तहसीलदार नागौर को दी तथा उस रिपोर्ट में यह भी झूठा कथन किया कि यह दीवार अपीलान्ट अनिल ने बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस दीवार के बाबत धारा 91 की कार्यवाही की गई है वह अपीलान्ट बिदामी की कब्जाशुद स्वामित्व की भूमि है और दीवार भी अपीलान्ट बिदामी द्वारा निर्मित है। धारा 91 की किसी भी प्रकार की कार्यवाही किये जाने से पूर्व नोटिस अपीलान्ट बिदामी को दिया जाना चाहिए था मगर अपीलान्ट बिदामी को कोई नोटिस नहीं दिया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी व तथ्यात्मक त्रुटि की है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि अपीलान्ट अनिल के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही आरम्भ करने व अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक गलती की है क्योंकि न तो अनिल का कब्जा खसरा संख्या 142/49 की भूमि पर रहा न उसकी दीवार बनाई हुई थी। अपीलान्ट अनिल को भी निर्णय पूर्व किसी प्रकार का नोटिस सुनवाई हेतु नहीं दिया गया। पूरी पत्रावली में न तो अनिल के पिता का नाम बताया गया है और न ही उसका निवास रहवास पता बताया गया है। अपीलान्ट अनिल को विधि अनुसार नोटिस दिया जाना भी पत्रावली से साबित नहीं है। अपीलान्ट अनिल के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार को अतिक्रमण की शिकायत की गई उसमे भी उसके पिता का नाम सिपाही राजस्थान पुलिस दिखाया गया है तथा निवासी कालम रिक्त छोड़ा गया है। दिनांक 2.3.2023 की तारीख पेशी का नोटिस अपीलान्ट अनिल के नाम का जारी करना बताया गया है उसमे भी अपीलान्ट के पिता का नाम दर्ज नहीं है न उसके

कलक्टर नागौर

निवास स्थान व रहवासी पता दिया हुआ है। सवार की रिपोर्ट अनुसार नोटिस की सूचना वाट्स एप पर दी गई। किस मोबाइल नम्बर पर वॉटस ऐप से सूचना अनिल को दी गई उसके कोई नम्बर सवार की रिपोर्ट पर अंकित नहीं है। इससे साफ प्रकट होता है कि तहसीलदार, पटवारी तथा सवार तीनो ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलीभगत कर व षडयन्त्र रचकर सारी कार्यवाही अवैध व विधिविरूद्ध तरीके से कर अपीलान्ट बिदामी की स्वामित्वशुदा भूमि पर बनी दीवार को तोड़कर भारी नुकसान कारित किया है। इन सब परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 60 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर यह तर्क किया कि नोटिस की तामील की प्रकिया धारा 60 के अनुसार अपनायी जानी थी,जो इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं अपनायी गयी हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि पत्रावली में पटवारी की फर्द मौका रिपोर्ट में अनिल के मोबाइल नम्बर 6375900897 बताये गये है। ये नम्बर पटवारी को किसने बताये उसका कोई उल्लेख नहीं है न ही ये इन नम्बरो का मोबाइल अपीलान्ट अनिल का है। इन नम्बरो का कोई मोबाइल अपीलान्ट अनिल के पास नहीं है न यह उसका मोबाइल है। इसलिए इन नम्बरों पर अगर कोई मैसेज दिया भी गया हैं तो उसका कोई महत्व नहीं हैं। विधि में वाटस एप से नोटिस की तामील कराने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की तामील मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है। दोनो ही अपीलान्ट्स को किसी प्रकार के नोटिस प्राप्त नहीं हुए न नोटिस दिये गये इस प्रकार अपीलान्ट्स को जवाब साक्ष्य सबूत पेश करने का तथा सुनवाई का मौका दिये बगैर अपीलान्ट्स के पीठ पीछे अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो सारी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त दोनो भूखण्डो को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित किये जाने से पहले नगरपरिषद नागौर द्वारा तहसीलदार व पटवारी से रिपोर्ट ली गई थी और इन दोनो की रूपान्तरण बाबत आपत्ति नहीं होने व रूपान्तरित नक्शे की स्वीकृति पश्चात ही नगरपरिषद द्वारा भूमि का रूपान्तरण आवासीय प्रयोजनार्थ किया गया। पट्टा संख्या 1195 की 799.28 वर्गगज रूपान्तरित भूमि का नक्शा व रिपोर्ट पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्राप्त होने पर भूमि रूपान्तरित की गई मगर धारा 91 की कार्यवाही में इसी रूपान्तरित पट्टाशुद पश्चिमी उत्तरी हिस्से को खसरा संख्या 142/49 सरकारी भूमि बताकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जबकि नगरपरिषद को भेजी गई पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट में इसी भूमि को 378/369 की भूमि बताया गया इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय अपास्त योग्य है। अपनी पूर्व में भेजी रिपोर्ट के विपरित जाकर धारा 91 की कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार व पटवारी को नहीं है। आवासीय भूमि पर तथा नगरीय क्षेत्र की भूमि पर धारा 91 की कार्यवाही करने का तहसीलदार,नागौर को अधिकार नहीं होने से भी अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया गया हैं। भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी विवाद का निस्तारण केवल मात्र नियमित वाद से ही संभव है। धारा 91 जैसी संक्षिप्त प्रक्रिया वाली कार्यवाही से इस प्रश्न को तय नहीं किया जा सकता, इसलिए धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही आरम्भ ही नहीं की जा सकती। ऐसी संक्षिप्त कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट बिदामी के स्वामित्व कब्जे की और नगरपरिषद से जारी पट्टाशुद भूमि पर दीवार बनी हुई थी। यदि इस भूमि को तहसीलदार राजकीय भूमि बताता है तो अपीलान्ट बिदामी की पट्टाशुद स्वामित्व की भूमि को सक्षम न्यायालय से तहसीलदार जब तक राजकीय भूमि की घोषणा नहीं करवा ले और पट्टा सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा ले तब तक ऐसी भूमि बाबत धारा 91 की कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय अपास्त योग्य है।

अपने इन कथनों के समर्थन में विद्वान वकील अपीलांट ने 1995(1) RLW(SC) पेज 117 के न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया हैं।

कलक्टर नागौर

अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.3.2023 को अपास्त किया जावें तथा अपीलान्ट बिदामी के दीवार के पत्थरो को जब्त किया गया है उन पत्थरो को बिदामी को पुनः लौटाये जाने के आदेश फरमावे एवं खर्चा हर्जा अपीलांट को दिलाया जावें।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में 2003(4) RLW(SC) पेज 509, 2005(3) DNJ(Raj) पेज 1549, 1997(1) RLW(Raj) पेज 660, 2006 RRD पेज 278 की नजीरे पेश कर मुख्य रूप यह कथन किया कि प्रकरण की तामिल विधिवत पक्षकार को होनी चाहिऐ,जो इस प्रकरण में नहीं हुई हैं।

विद्वान राजकीय पेरोकार का दौराने बहस कथन हैं कि अपीलांट अनिल कुमार विश्नोई द्वारा ग्राम मानासर की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 142/49 रकबा 0.1619 हैक्टयर पर कब्जा कर चार दिवारी बनाये जाने पर भू0अभिलेख निरीक्षक,नागौर एवं पटवारी हल्का,मानासर द्वारा तहसीलदार, नागौर को दफा 91 राज.ले.रे.एक्ट के तहत कार्यवाही पेश करने पर तहसीलदार,नागौर द्वारा अतिकमी के विरूद्व प्रकरण दर्ज कर उन्हें सुनवाई का नोटिस जारी किया गया। तामिल कुनिन्दा द्वारा अतिकमी को वॉट्सऐप पर सुनवाई की सूचना दी गई हैं। अपीलांट अनिल कुमार को तारीख पेशी की सूचना दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। तहसीलदार,नागौर द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत दिनांक 13.03.2023 को निर्णय पारित कर अतिकमी को बेदखल के आदेश दिये हैं,जो सही दिये गये हैं। गैर सायल अनिल कुमार द्वारा राजकीय पुलिस सेवा का कार्मिक होते हुवे भी राजकीय भूमि खसरा नम्बर 142/49 पर अतिकमण कर कब्जा कर चार दिवारी का निर्माण किया जिसे विधिक प्रकिया अपनाते हुवे हटाया जाकर भूमि को राजकीय कब्जे में ली गई हैं। अतिकमी को प्रावधानों में किसी प्रकार की कोई छुट नहीं हैं। इसलिए तहसीलदार,नागौर द्वारा की गई कार्यवाही विधिवत् हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें तथा तहसीलदार,नागौर का निर्णय दिनांक 13.03.2023 को यथावत रखा जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकील अपीलांट द्वारा पेश किये माननीय न्यायालय के निर्णयों का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। भू0अभिलेख निरीक्षक,नागौर एवं पटवारी (भू0अभि0),नागौर द्वारा तहसीलदार,नागौर को दिनांक 22.02.2023 को धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट. के तहत गैर सायल अनिलकुमार विश्नोई सिपाही राज0 पुलिस के विरूद्व इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि ग्राम मानासर के खसरा नम्बर 142/49 रकबा 0.4371 हैं0 में से 0.1619 है0 किस्म भूमि बारानी–4 पर सम्वत् 2079 में चार दिवारी कब्जा कर नाजायज कब्जा कर लिया हैं। भू0अभिलेख निरीक्षक,नागौर एवं पटवारी मानासर द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट भी बनायी गई जिसमें यह स्पष्ट अभिलिखत किया हैं कि ख0नं0 377/369 व ख0नं0 375/367 व 142/49 रकबा कमशः 0.0374 हैं0,0.374 हैं0व 0.4371 है0 जमाबंदी के खाता नम्बर 1 में राजकीय भूमि के रूप में अभिलिखित हैं। मौके पर पूछताछ करने पर स्थानीय बांशिदों ने बताया कि इन खसरों पर अनिल विश्नोई जो कि राजस्थान पुलिस का सिपाही हैं ने चार दिवारी का निर्माण कर कब्जा कर रखा हैं खातेदारी भूमि 0.4918 हैक्टेयर हैं जबकि अनिल कुमार ने ख0नं0 377/369,375/367 व 142/49 को चार दिवारी करते हुए घेर रखा हैं ख0नं0 142/49 की 1 बीघा भूमि पर कब्जा कर चार दिवारी बना ली हैं। जिसका नजरी नक्शा भी फर्द मौका रिपोर्ट में दर्शाया गया हैं। उपरोक्त रिपोर्ट एवं राजस्व कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत दफा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही से प्रकट हैं कि अपीलांट अनिल कुमार द्वारा राजकीय भूमि खसरा नम्बर 142/49 की 0.1619 हैक्टयेर भूमि पर नाजायज कब्जा कर चार दिवारी का निर्माण किया हैं। तहसीलदार,नागौर द्वारा गैर सायल(अपीलांट अनिल कुमार विश्नोई) के विरूद्व प्रकरण संख्या 06/23 दफा 91 आर.एल.आर.एक्ट. का दर्ज कर गैर सायल को तारीख पेशी दिनांक 02.03.2023 का नोटिस जारी किया गया हैं। उक्त नोटिस पर तामिल कुनिन्दा ने यह रिपोर्ट अंकित की हैं कि प्रार्थी को वॉट्सऐप पर सूचित किया आसामी ने स्वीकार किया। तामिल कुनिन्दा की उक्त रिपोर्ट से यह प्रकट हैं कि गैर सायल को इस प्रकरण की

कलक्टर नागौर

जानकारी हो चुकी थी परन्तु उसके बावजूद उन्होंने तहसील कार्यालय में चल रही इस कार्यवाही में भाग नहीं लिया हैं। तहसीलदार,नागौर द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 13.03.2023 को निर्णय पारित कर गैर सायल को मौजा मानासर के खसरा नम्बर 142/49 रकबा 0.1619 है0 राजकीय भूमि पर अतिकमी मानते हुवे जुर्माना राशि आरोपित की हैं तथा अतिकमी को अतिकमित रकबे पर से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश जारी किये हैं।

अपीलांट का अपील में मुख्य बिन्दु यह हैं कि पट्टा संख्या 1193 के आवासीय का क्षेत्रफल 286.11 वर्गगज तथा पट्टा संख्या 1195 के आवासीय भूखण्ड का क्षेत्रफल 799.28 वर्गगज है। उक्त दोनो आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूखण्डो की खरीद जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामे के दिनांक 6.1.2023 को अपीलान्ट बिदामी देवी ने की हैं तथा खरीद के बाद से इन दोनो भूखण्डो की मालिक, स्वामी, काबिज अपीलान्ट बिदामी है,इसलिए कार्यवाही अनिलकुमार के विरूद्व गलत पेश की हैं। इस बिन्दू के सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में मौजा मानासर के खसरा नम्बर 142/49 रकबा 0.1619 है0 राजकीय भूमि पर किये गये अतिकमण के अतिकमी के विरूद्व कार्यवाही की गई हैं। खसरा नम्बर 142/49 रकबा 0.1619 हैं0 राजकीय भूमि अपीलांट के स्वामित्व की भूमि होने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। राजकीय भूमि पर बिना किसी स्वामित्व के राजकीय पुलिस सेवा में कार्यरत कार्मिक द्वारा कब्जा कर चार दिवारी निर्माण को तहसीलदार,नागौर द्धारा हटाया जाने का जो आदेश पारित किया गया वह विधिवत हैं। इसलिए तहसीलदार, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.03.2023 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। तथा तहसीलदार,नागौर का जैर अपील निर्णय यथावत् रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति सहित उनका मूल रिकार्ड लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर,
नागौर